# न्यायालय जिला कलक्टर,भरतपुर

अपील/62/2019

ओमप्रकाश पुत्र सुन्दर आयु 62 वर्ष जाति कुम्हार निवासी ग्रांम सिरसई तहसील नदबई

.....अपीलान्ट

**बनाम**

1–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार नदबई जिला भरतपुर
2–ईश्वरी आयु 45 वर्ष पुत्र स्व0 सुन्दर जाति कुम्हार निवासी सिरसई तहसील नदबई
3–श्रीमती अशरफी आयु 53 वर्ष पुत्र स्व0 सुन्दर धर्म पत्नि श्री होशियर सिंह जाति कुम्हार निवासी ग्रांम बरसो तहसील व जिला भरतपुर
4– श्रीमती सोना उर्फ सोनदेई आयु 40 वर्ष पुत्री स्व0 सुन्दर धर्मपत्नि श्री अमरसिंह जाति कुम्हार निवासी ग्रांम बरसो तहसील व जिला भरतपुर

.....रेस्पो.

अपील विरुद्ध नामान्तकरण संख्या 311 तारीखी 29.5.2015 राजस्व अभियान कैम्प रायसीस तहसील नदबई विरासत मृतक सुन्दर,।

———

उपस्थित :–
1–श्री पुष्पेन्द्र तिवारी अभिभाषक अपीलान्ट,
2–राजकीय अभिभाषक रेस्पो01
3–श्री रामकुमार गुप्ता अभिभाषक रेस्पो. 2लगा.4

**निर्णय** **दिनांक 16.3.2022**

अपीलान्ट ने यह अपील विरुद्ध रेस्पो0 व खिलाफ आदेश नामान्तकरण संख्या 311 दिनांक 29.5.2015 के पेश की गई है। संक्षेप में इस प्रकार है कि अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 311 दिनांक 29.5.2015 को दौराने राजस्व कैम्प में मृतक सुन्दर पुत्र सुखी की विरासत का दर्ज किया जाकर स्वीकार किया गया है। मुताबिक अपीलार्थी उक्त विरासत में उसका नाम छोड़ दिया गया है। जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश की गई है।

.....2

जिला कलक्टर
भरतपुर (राज०)

अपील दर्ज कर रेस्पो की तलवी की गई। रेस्पो. 2 लगायत 4 की ओर से जवाब सहमति पेश किया गया। जो शामिल पत्रावली है। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष की बहस सुनी गई।

योग्य अभिषक ने अपने तर्कों में अपील में अंकित कथनों को दोहराते हुये जाहिर किया कि अपीलान्ट के पिता स्व0 सुन्दर पुत्र सुक्खी जाति कुम्हार का निवासी ग्रांम सरसई का देहान्त दिनांक 15.11.2002 को हो गया । मृतक सुन्दर के वारिसान में उनका पुत्र ओमप्रकाश अपीलान्ट,ईश्वरी असरफी सोना उर्फ सोनदेई हैं। अन्य कोई वारिसान नहीं है। उनका कहना है कि अपीलान्ट ओमप्रकाश मृतक सुन्दर का बड़ा पुत्र है। नामान्तकरण में जो सजरा बनाया गया है वह गलत है उसमें अपीलान्ट का नाम छोड़ दिया गया है। इससे अपीलान्ट अपने हक हकूकों से महरुम हो गया है। मृतक सुन्दर की विरासत में अपीलान्ट का नाम दर्ज कराये जाने की प्रार्थना की गई है। योग्य अभिभाषक का तर्क है कि अपीलाधीन आदेश की जानकारी दिनांक 20.7.2019 को हुई, उक्त दिनांक को रेस्पो. ने ही बताया कि तेरा नाम पिता की आराजी में नहीं है, तथा अपीलान्ट को आराजी को बोने जातने से रोका गया, तब जानकारी करने पर अपीलाधीन आदेश की नकल वगैराह लेकर अपील जानकारी दिनांक से अन्दर म्याद पेश की गई है, देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा 5 पेश किया गया है। देरी को माफ करने करते हुये अपील स्वीकार करने की प्रार्थना की गई।

योग्य अभिभाषक रेस्पो. ने बताया कि मृतक सुन्दर की विरासत में उनके पुत्र ओमप्रकाश अपीलान्ट का नाम जोड़ने में उन्हें कोई आपत्ति नहीं है। योग्य अभिभाषक ने बताया कि रेस्पो. ने पूर्व में ही अपना जबाब सहमति प्रार्थना पत्र श्रीमानजी को पेश किया गया है जो पत्रावली मे मौजूद है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। योग्य अभिभाषक उभय पक्ष के कथनों पर गौर किया गया। सर्वप्रथम में प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा 5 पर अपील की म्याद पर विचार किया गया। अपीलान्ट ने अपील की देरी को माफ करने के लिये प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा 5 पेश किया गया है उसके समर्थन में शपथ पत्र भी पेश किया गया है। उसके खिलाफ कोई भी काउन्टर शपथ पत्र या उज्र नहीं किया गया है। ऐसी स्थिति में प्रार्थना पत्र म्याद अधिनियम धारा 5 को स्वीकार करते हुये अपील को अन्दर म्याद शुमार करते हुये अपील की मैरिट पर विचार किया गया।

जिला कलक्टर
अनूपपुर (म.प्र.)

अपीलाधीन आदेश नामान्तकरण संख्या 311 के अवलोकन से जाहिर है कि यह नामान्तकरण मृतक सुन्दर पुत्र सुखी की विरासत का दर्ज किया जाकर स्वीकार किया गया है। अपील में उक्त नामान्तकरण में अपीलान्ट का नाम छोड़ दिये जाने का कथन किया गया है, मृतक सुन्दर के वारिसान रेस्पो. ने उक्त विरासत में अपीलान्ट ओमप्रकाश का नाम जोड़े जाने की सहमति भी दी गई है। चूँकि विवादित प्रकरण मृतक सुन्दर पुत्र सुखी की विरासत का है, जो जॉच का विषय है। ऐसी स्थिति में हम मृतक सुन्दर पुत्र सुखी के वारिसान की जॉच कर पुनः नामान्तकरण खोले जाने हेतु प्रकरण तहसीलदार नदबई को प्रतिप्रेषित किया जाना उचित पाते हैं।

**अतः आदेश है कि :–**

उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलान्ट आंशिक रुप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन नामान्तकरण संख्या 311 निरस्त किया जाता है। प्रकरण तहसीलदार नदबई को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे मृतक सुन्दर पुत्र सुखी की वारिसान की जॉच करें तथा उभय पक्षकारान को सुनवाई का समुचित अवसर देते हुये पुनः आदेश पारित करें।

निर्णय आज दिनांक 16.3.2022 को लिखाया सुनाया गया।

( अलोक रंजन )
जिला कलक्टर,भरतपुर